### **Regional Office**



## Rajasthan State Pollution Control Board



Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-120/ 1495-150/

Date: 14.11.2024

M/s Shri Kailash Chand Dhakar, R/o In front of Tample, Umaji Ka Khera. Tehsil Bijoliya, Distt. Bhilwara.

Sub:

Public hearing for Environmental Clearance for Sandstone & Masonry Stone Mining Project, M.L. No. 07/2023, lease area- 1.0459 Hetare, with proposed production capacity of 124342 TPA located at M.L. No. 07/2023 near village - Dabi, Tehsil- Talera, District - Bundi, Proposed Cluster (M.L. No. - 06/2019, 04/2018, 02/2021, 07/2012, 05/2020, 03/2022, 03/2021, 01/2022, 02/2012, 01/2023, 01/2014, 10/2023, 44/2008, 153/2008, 221/1998, 307/1998, 25/2007, 08/2023 & 05/2022) Area- 51.9127 Hectare, applied by M/s Shri Kailash Chand Dhakar, near village -Dabi, Tehsil- Talera, District - Bundi (Raj).

Ref:

District Collector Office letter no. 195 dated 12/11/2024.

Sir.

In reference to above it is submitted that in compliance to, Respected District Collector, Bundi, office letter no. 195 dated 12.11.2024 in which public hearing has been finalized on dated 26.12.2024.

Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper (All editions) and one regional daily newspaper (Hindi-All editions) in any case on or before on/before 25.11.2024, as per provision of MoEF & CC, New Delhi notification dated 14.09.2006 and amended time to time.

The newspaper cuttings are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Rajiv Gandhi Seva Kendra, Village- Dabi, Tehsil- Talera, District - Bundi at 11:00 AM on 26.12.2024 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP reports and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely

Encl :- As above

Regional Officer, RSPCB, Bundi

#### Copy to :-

1. District Collector, Bundi.

2. Rjasthan State Pollution Control Board Headquarter, 4, Intitutional Area, Jhalana Dungari, Jaipur- 302004.

3. Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, A-218 Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur 302004.

4. SDM, Talera, District- Bundi.

5. General Manager, District Industry Centre, District- Bundi.

6. Director, Environment Department, Rooms Number 8240, Second Floor, U-P (SSO) Building, Secretariat, Jaipur.

## **Regional Office**



# Rajasthan State Pollution Control Board



Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-120/ 1495-150/

Date: 14.11.2024

# पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़, एम.एल. संख्या 07/2023 निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्ड्स्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग माईनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्ड़स्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर (06/2019, 04/2018, 02/2021, 07/2012, 05/2020, 03/2022, 03/2021, 01/2022, 02/2012, 01/2023, 01/2014, 10/2023, 44/2008, 153/2008, 221/1998, 307/1998, 25/2007, 08/2023 एवं 05/2022) क्षेत्र— 51.9127 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़ द्वारा प्रस्तावित सेण्ड्स्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (एम.एल.संख्या 07/2023), खनन क्षेत्र 1.0459 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 124342 TPA, जो कि एम.एल. संख्या 07/2023, निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
- 2. और चूंकि मैसर्स कैलाश चन्द धाकड़, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना
- 3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :--
  - जिला कलक्टर, बून्दी। i.

  - iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, ४, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
  - क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए—218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
  - महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बून्दी।
  - vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी।
  - vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी।
  - viii. ग्राम पंचायत, डाबी।
  - ix. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी।
  - निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
  - xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

### **Regional Office**



## Rajasthan State Pollution Control Board



Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi E-mail: <a href="mailto:rorpeb.bundi@gmail.com">rorpeb.bundi@gmail.com</a>

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 195 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2024 (गुरुवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मीखिक आक्षेप / सुक्षाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जो सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड़—19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भेजीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी